



2026:AHC:57967

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10694 वर्ष 2026

श्रीमती मंजू देवी यादव एवं 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्याम सुन्दर पाल, विनोद कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम,

1. श्री विनोद कुमार , याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री पीयूष मिश्रा, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि रेलवे दुर्घटना दावा अधिकरण के दिनांक 04.11.2024 के आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा दावेदार/याचिकाकर्ता के पक्ष में केवल 80,000/- रुपये की राशि जारी करने का निर्देश देना अनुचित, अन्यायपूर्ण और अत्यंत अपर्याप्त है। यह रेलवे दुर्घटना में याचिकाकर्ता सं 1 के पति की मृत्यु के लिए मुआवज़ा देने के उद्देश्य को ही विफल कर देता है।
3. अभिलेख की जाँच करने पर पता चलता है कि 13.07.2014 को हुई एक रेल दुर्घटना में, याचिकाकर्ता सं. 1 के पति और याचिकाकर्ता सं. 6 के पुत्र और याचिकाकर्ता सं. 2 से 5 के पिता को जानलेवा चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। इसके चलते, याचिकाकर्ताओं ने 31.12.2014 को एक मुआवज़े की याचिका दायर की, जिसका निर्णय 04.11.2024 को आया, यानी दुर्घटना होने के लगभग दस साल बाद। इसके बावजूद, उस निर्णय के तहत, न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



8,00,000 रुपये का मुआवज़ा दिया है (याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को 3,00,000/- रुपये और याचिकाकर्ता संख्या 2 से 6 में से प्रत्येक को 1,00,000/- रुपये प्रदान किए गए हैं)।

4. न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को 80,000 रुपये जारी करने का आदेश दिया है, और शेष राशि को तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि निक्षेप में जमा किया जाना है।

5. याचिकाकर्ता उस पूरी तरह से अपर्याप्त राशि से असंतुष्ट है, जिसे एक यांत्रिक तरीके से जारी करने का निर्देश दिया गया है। कुल दिए गए मुआवज़े को देखते हुए, अभी 80,000/- रुपये की राशि जारी की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें 8,00,000/- रुपये का मुआवज़ा दिया गया है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दी गई राशि में से कम से कम 75 प्रतिशत राशि याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को और 50 प्रतिशत राशि याचिकाकर्ता संख्या 2 एवं 3 (अभिभावकों) को जारी की जाए।

6. दूसरी ओर, रेलवे की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अधिनिर्णय की 90 प्रतिशत राशि जारी करने पर रोक लगाने का आदेश केवल याचिकाकर्ता के हित में है, क्योंकि ब्याज जुड़ने के बाद तीन वर्ष पश्चात् उसे संभवतः अधिक राशि प्राप्त होगी।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने और अभिलेख की जाँच करने के बाद, हालाँकि इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि ऐसे मामलों में यह सिद्धांत आम तौर पर लागू होता है जहाँ मुआवज़े की कुछ राशि अधिनिर्णय के समय जारी कर दी जाती है और बाकी राशि दावेदारों के फ़ायदे के लिए निवेश कर दी जाती है, फिर भी, इसे सभी मामलों में एक सामान्य नियम के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामलों में, विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते समय, हर मामले के अलग-अलग तथ्यों और परिस्थितियों को ही आधार बनाया जाना चाहिए। जिस दावेदार/याचिकाकर्ता सं. 1 ने अपने पति को खो दिया है और जिस पर कुछ हद तक निर्भरता का दावा भी किया जा सकता है, उसे मुआवज़े का अधिनिर्णय पाने के लिए सालों तक मुकदमा लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता; और फिर, न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए, जो ज़ाहिर तौर पर ऐसे दावेदारों के ही हित में किया जाता है, उस मुआवज़े को पाने के लिए उसे और कई साल इंतज़ार करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता।

8. अतः, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा उद्धृत उपरोक्त सिद्धांत को व्यावहारिकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक उचित राशि जारी की जा सके।



9. प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता संख्या 1 मृतक की पत्नी हैं, जिनकी आयु लगभग 78 वर्ष है, और याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 मृतक के पुत्र-पुत्री हैं और याचिकाकर्ता सं. 6 मृतक की माता हैं जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष है। मृत्यु की घटना के बाद से, मुआवज़ा मिलने के लिए उन्होंने दस वर्षों तक प्रतीक्षा की है। इस समय जो मुआवज़ा दिया गया है, वह भी अत्यधिक नहीं है, बल्कि एक मामूली राशि—8,00,000/- रुपये—है।

10. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई यह प्रार्थना कि, निर्धारित राशि में से कम से कम पचास प्रतिशत राशि याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) और याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 (पुत्र और पुत्रियों) को, तथा पचहत्तर प्रतिशत राशि याचिकाकर्ता संख्या 6 (माता) को जारी की जाए, पूर्णतः न्यायसंगत और उचित पाई गई है। अतः, दिनांक 04.11.2024 का अधिनिर्णय संशोधित माना जाएगा।

11. आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, स्वीकृत राशि का 50% यानी 1,50,000/- रुपये याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को, 50,000/- रुपये प्रत्येक याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 को, और स्वीकृत राशि का 75% यानी 75,000/- रुपये याचिकाकर्ता संख्या 6 (माँ) को, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी कर दिए जाएं। शेष राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में, सबसे अधिक ब्याज देने वाली सावधि निक्षेप योजना में, तीन वर्ष की अवधि के लिए निवेशित और सुरक्षित रखा जाएगा।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनिर्णय के अनुपालन में भुगतान की गई कोई भी राशि, इस आदेश के अनुसरण में जारी की जाने वाली राशि के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है।

14. इसके अतिरिक्त, यह आदेश याचिकाकर्ताओं के, यदि उन्हें सलाह दी जाती है, तो वृद्धि का दावा करने के अधिकार से स्वतंत्र रूप से पारित किया गया है।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम)

मार्च 20, 2026

वेद प्रकाश